अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित सत्त्वों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में संव्यवहारों की जांच को संदर्भित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और लागू कानूनों, सक्षम प्राधिकारणों द्वारा जारी नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और अभीष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, उपयुक्तता, विवेक और प्रभावकारिता को भी निर्धारित किया जा सके।

लेखापरीक्षाएं अनुमोदित लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की तरफ से की जाती हैं। इन मानदंडों में वे प्रतिमान निर्धारित किए गए है जिनका लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा पालन करना अपेक्षित है और इसके अननुपालन के साथ-साथ उन कमजोरियों, जो लेखापरीक्षित सत्वों के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद है, के पृथक मामलों की सूचना देना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों/ अभ्युक्तियों से सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, नीतियों और प्रक्रियाओं को भी बनाने के लिए कार्यकारियों को सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा, जो बेहतर शासन को बढ़ावा देगा।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा की व्याख्या के अलावा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों, जो कि **परिशिष्ट-I** में सूचीबद्ध किए गए हैं, के व्यय और उनके वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। अध्याय II में VIII में आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/ विभागों और उनके स्वायत्त निकायों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से सृजित निष्कर्ष/ अभ्युक्तियां दी गई है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को रिपोर्टिंग का प्राधिकार क्रमश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। नियंत्रक एवं

[1] *31.03.2019 तक 64 सीएबी लेखापरीक्षा के दायरे में थे।*

महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 13[2] और धारा 17[3] के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करते है।

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु सांविधिक रूप से लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लोकहित में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इसके अलावा, भारत की संचित निधि से अनुदानों/ ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लागू किए गए लेखापरीक्षण मानदंडों में प्रतिपादित सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से मंत्रालय/ विभाग तथा प्रत्येक इकाई के किए गए व्यय, इसके कार्यकलापों के महत्व/ जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर और आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन तथा पणधारकों के मुद्दों के आधार पर जोखिम निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृति और सीमा का निर्णय लिया जाता है। इसके पश्चात, ऐसे जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है। चयनित/ नियोजित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निर्दिष्ट करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट इकाई के प्रमुख को जारी की जाती है। इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते है तब लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु अगली कार्रवाई का परामर्श दिया जाता हैं। इन निरीक्षण रिपोर्टों से सृजित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में अलग से जारी किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलन हेतु

---

[2] (i) भारत की संचित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित सभी संव्यवहार और (iii) सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[3] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे स्टोर और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।

संसाधित किया जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 बजट और व्यय

16 आर्थिक और सेवा मंत्रालयों (विभाग वार जहां लागू है) तथा वित्त मंत्रालय के दो विभागों के संबंध में 2018-19 की रिपोर्टिंग अवधि और इसके पिछले वर्ष के दौरान बजट तथा व्यय की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: आर्थिक और सेवा मंत्रालयों/ विभागों का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के प्रति अव्ययित बजट की प्रतिशतता (%)
	2018-19				2017-18			
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1,59,582.53	1,42,888.03	16,694.50	10.46	1,22,898.47	1,17,152.83	5,745.64	4.68
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग	1,17,097.21	1,16,088.58	1,008.63	0.86	1,07,742.08	1,06,768.31	973.77	0.09
निवेश एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबधंन विभाग	146.15	145.15	1.00	0.68	44.00	32.19	11.81	26.84
रसायन और उर्वरक मंत्रालय								
उर्वरक विभाग	73,487.40	73,477.41	9.99	0.01	94,797.23	89,788.57	5,008.66	5.28
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	399.65	339.86	59.79	14.96	658.28	612.11	46.17	7.01
फार्मास्युटिकल्स विभाग	579.71	523.46	56.25	9.70	266.11	252.41	13.70	5.15
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय*	50,254.47	40,874.26	9,380.21	18.67	47,293.79	40,606.46	6,687.33	14.14
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	34,422.95	32,620.99	1,801.96	5.23	36,860.59	33,192.11	3,668.48	9.95

विद्युत् मंत्रालय	20,233.67	19,850.10	383.57	1.90	17,966.44	15,017.90	2,948.54	16.41
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय								
व्यापार विभाग	6,215.32	6,159.52	55.80	0.90	5,664.01	5,586.45	77.56	1.37
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग**	6,156.61	6,020.57	136.04	2.21	6,134.48	4,053.64	2,080.84	33.92
नागर विमानन मंत्रालय	10,680.98	9,600.19	1,080.79	10.12	2,789.29	2,664.12	125.17	4.49
वस्त्र मंत्रालय	8,660.82	6,695.47	1,965.35	22.69	6,272.82	5,940.18	332.64	5.30
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	6,561.17	6,513.12	48.05	0.73	6,482.01	6,222.18	259.83	4.01
पोत परिवहन मंत्रालय	2,729.75	2,321.63	408.12	14.95	2,116.76	1,862.53	254.23	12.01
पर्यटन मंत्रालय	2,150.03	2,100.49	49.54	2.30	1,840.80	1,766.09	74.71	4.06
खान मंत्रालय	2,164.54	1,397.10	767.44	35.46	1,460.49	1,349.00	111.49	7.63
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय								
भारी उद्योग विभाग	1,286.66	1,035.02	251.64	19.56	2,600.03	1,104.62	1,495.41	57.52
लोक उद्यम विभाग	21.44	21.20	0.24	1.12	19.38	18.69	0.69	3.56
कोयला मंत्रालय	781.85	708.34	73.51	9.40	1,445.11	1,411.19	33.92	2.35
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	643.98	610.41	33.57	5.21	588.85	526.42	62.43	10.60
इस्पात मंत्रालय	154.90	154.64	0.26	0.17	44.14	43.20	0.94	2.13
जोड़	**5,04,411.79**	**4,70,145.54**	**34,266.25**	**6.79**	**4,65,985.16**	**4,35,971.20**	**30,013.96**	**6.44**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

***आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को 2017-18 के दौरान आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय (एमओएचयूए) बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के आंकड़ों को तुलना के उद्देश्य के लिए एमओएचयूएके के अधीन क्लब किया गया था।**

****तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)**

2018-19 के दौरान भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों का कुल व्यय, ₹4,70,145.54 करोड़ था, जबकि 2017-18 में ₹4,35,971.20 करोड़ था, यथा ₹34,174.34 करोड़ (7.84 *प्रतिशत)* की वृद्धि। 2018-19 के दौरान इन मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए गए ₹4,70,145.54 करोड़ के कुल व्यय में से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30.39 *प्रतिशत* व्यय किया गया और उसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा व्यय किया गया (क्रमशः 24.69 *प्रतिशत* और 15.63 *प्रतिशत*)।

2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों के वास्तविक व्यय में वृद्धि और कमी की एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा पर वास्तविक व्यय में

अन्तर (अर्थात वृद्धि/ कमी) क्रमशः 0.66 *प्रतिशत*[4] और 1.72 *प्रतिशत*[5]से 350.92 *प्रतिशत*[6] और 49.81 *प्रतिशत*[7]था।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान वास्तविक व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले मंत्रालयों/ विभागों में नागर विमानन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), और फार्मास्यूटिकल्स विभाग थे। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कोयला मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और उर्वरक विभाग में व्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

2018-19 के दौरान ₹5,04,411.79 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के संदर्भ में, मंत्रालयों/ विभागों के पास कुल ₹34,266.25 करोड़ का अव्ययित बजट था, जो 2017-18 के दौरान 6.44 *प्रतिशत* के अव्ययित बजट के प्रति कुल अनुदान/ विनियोजन का 6.79 *प्रतिशत* बनता था।

1.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/ संगठनों को जारी किए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकायो/ संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 5,660 की कुल संख्या के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), जिसमें 15 मंत्रालयों/ विभागों द्वारा मार्च 2018 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹18,616.49 करोड़ की राशि शामिल है जो अनुदान जारी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बकाया थे, की मंत्रालय/ विभाग-वार स्तिथि (मार्च 2019 के अनुसार) का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है। ₹18,616.49 करोड़ वाले इन 5,660 यूसी के संबंध में, कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका कि यह राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/ अधिकृत किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का उच्च लम्बन निधियो के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की काल-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में संक्षेपित है:

---

[4] ***आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय: ₹{(40874.26 करोड़- 40606.46 करोड़)/ 40606.46 करोड़ }*100***

[5] ***पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय: ₹{(33192.11 करोड़ - 32620.99 करोड़)/ 33192.11 करोड़}*100***

[6] ***डीआईपीएएम: ₹{(145.15 करोड़ - 32.19 करोड़)/ 32.19 करोड़}*100***

[7] ***कोयला मंत्रालय: ₹{(1411.19 करोड़ - 708.34 करोड़)/ 1411.19 करोड़}*100***

तालिका 1.2: बकाया यूसी की स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्षों की संख्या में देरी की सीमा	31 मार्च 2019 को बकाया यूसी	
	संख्या	राशि
0-1	1,633	10,114.49
1-5	2,942	8,118.37
5 से अधिक	1,085	383.63
जोड़	**5,660**	**18,616.49**

बकाया यूसी मुख्य रूप से छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसी के 95.62 *प्रतिशत* बनते हैं, जिसका मूल्य कुल बकाया राशि का 99.25 *प्रतिशत* है। मार्च 2019 तक छः मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के साथ बकाया यूसी की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2019 को बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	मार्च 2018[8] तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1,374	16,974.80
2.	वस्त्र मंत्रालय	3,608	871.66
3.	भारी उद्योग विभाग	46	185.52
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	328	165.26
5.	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	32	148.10
6.	वाणिज्य विभाग	24	132.02
	जोड़	**5,412**	**18,477.36**

1.6 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे गए पेपर्स पर समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1975-76) में सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखांकन वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर अपने लेखाओं को अंतिम रूप देना/ तैयार

[8] *मार्च 2018 तक जारी किए गए अनुदानों के लिए*

करना चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित किया गया है।

नीचे दी गई तालिका 1.4 में सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब

	देरी की अवधि			
	1 महीने तक	**1-3 महीने**	**3-6 महीने**	**6 महीने से अधिक**
सीएबी की संख्या	11	8	7	12

सीएबी के विवरण जिनके लेखे मई 2020 तक तीन महीने से अधिक विलंबित थे, उन्हें **परिशिष्ट-III** में दर्शाया गया है।

1.7 संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति में देरी

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि एबी के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के भीतर अर्थात अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखा जाएगा।

मई 2020 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति तालिका 1.5 में उल्लिखित है:

तालिका 1.5: संसद के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की स्थिति

लेखा वर्ष	**सीएबी की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षा किए गए लेखे जारी किए गए थे, परन्तु संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए**	**देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित लेखाओं की संख्या**
2012-13	1	1
2013-14	2	5
2014-15	2	4
2015-16	1	8
2016-17	1	18
2017-18	5	25

उन सीएबी, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा देय तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए, के विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-IV** और **परिशिष्ट-V** में दिए गए हैं।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अधीन लेखापरीक्षित सीएबी के लिए अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उन प्रमाणित अंतिम लेखाओं के साथ सलंग्न किये जाते हैं, जो संसद के पटल पर संबंधित मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए, सीएबी के वार्षिक लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को **परिशिष्ट-VI** में दिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नानुसार हैं:

क) 17 सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VII**);

ख) 21 सीएबी में, स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-VIII**) ;

ग) 10 सीएबी में, मालसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-IX**);

घ) तीन सीएबी में, प्राप्ति/ नकद आधार पर अनुदानों के लिए लेखांकन वित्त मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित लेखा के समान प्रारूप के साथ असंगत पाया गया (**परिशिष्ट-X**);

ड़) पांच सीएबी में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-XI**); और

च) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप छ: सीएबी के लेखे को संशोधित किया गया (**परिशिष्ट-XII**)।

1.9 लंबित एटीएन की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी एक सौ और पांचवीं रिपोर्ट (दसवीं लोकसभा - 1995-96) जो 17 अगस्त 1995 को संसद में प्रस्तुत की गयी थी, में सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से 31 मार्च 1996 के बाद से शुरू होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाना

चाहिए। इसके बाद, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी कक्ष बनाया गया, जिसे सभी मंत्रालयों/ विभागों से उन एटीएन के समन्वय और संग्रहण का काम सौंपा गया है, जो संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हैं और उन्हें संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पीएसी को दिया जाता है।

मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय) में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि संबंधित मंत्रालयों/ विभागों (नवंबर 2018) के साथ पत्राचार के विभिन्न चरणों के तहत छः एटीएन थे। छः एटीएन में से, पीएसी को चार प्रस्तुत किए गए थे, जबकि दो एटीएन अभी भी पत्राचार चरण (मई 2020) में हैं। बकाया एटीएन का विवरण **परिशिष्ट-XIII** में दर्शाया गया है।

1.10 ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों का उत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की सिफारिशों पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि, वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजें। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बनाये गये बनाये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के पैरा 207 (1) के अधीन समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए और छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। इस प्रतिवेदन में 14 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। आठ पैराग्राफों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है (मई 2020)।